ہیں۔ صنعتِ کرگھا بند ہو رہے ہیں اور خاص طور سے بہار میں تو ھینڈلوم کی حالت بہی خراب ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا منتری جی اسکی طرف توجہ کریں گے اور بہار کے بنکروں کو ٹریننگ دے کر ایسے کپڑا تیار کروائیں گے جسکا کہ "نریات" ہو سکے اور انکی بے کاری دور ہو سکے۔ اسی طرح سے اتر پردیش میں جن علاقوں میں بنکر بچھڑے ہوئے ہیں لگے مال کی بکری نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کرگھا بند ہیں اور انکی حالت خراب ہے تو اسکو سدھارنے کے لئے کچھ کریں گے اور اسکے اوپر کیا آپکا کوئی غور ہے یا نہیں اور اس سلسلے میں منتری جی کیا کریں گے۔

SHRI R.L. JALAPPA: Sir, the Government is aware of the plight of weavers. In fact, out of twenty-two lakhs of weavers, nearly ten lakhs are in Uttar Pradesh. We recently had a discussion about all these things. I will assure this House that we will do our best to improve the lot of weavers. I have already submitted here that in addition to improving the lot of weavers, we must also try to improve the quality. Then only we will be improving the life of the workers.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOTRA: Sir, this industry is very vital for India because it provides opportunity for a lot of employment. And therefore, its development, both in terms of quality and subsequent expo promotion, is very vital.

The hon. Minister stated that there is recession in America. I would just like to bring to his notice that there is no recession, there is almost total employment and the economy is booming. Our exports constitute a very small part of their imports of similar fabrics from other parts of the world.

What is being done (a) to improve the quality and design of our handloom fabrics, and (b) to specifically improve the volume of exports to America and the newly emerging countries in South-East Asia?

SHRI R.L. JALAPPA: Sir, we have already opened 11 handloom service centres for improving the quality. If any State Government comes forward for improving the designs by taking foreign technology, we are prepared to meet that expenditure through the Handloom Development Corporations in respective States. We are also thinking of employing some foreign designers. In addition to that, the quality of the woven fabric is also to be improved. We are looking into it. I am now trying to interact with different unions of handloom weavers and understand the problem. I will do my best to redress their grievances.

गुजरात में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

*285. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 1996 की स्थिति के अनुसार गुजरात में निवास कर रहे भूतपूर्व सैनिकों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य के प्रत्येक जिले में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों से कितने भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाने हेतु कैंटीन की सुविधा प्रदान करने के लिए अब तक कार्यवाही न किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 25 जुलाई, 1996 की स्थिति के अनुसार गुजरात में विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 9622 है। जिलावार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई पुनर्वास और कल्याण योजनाएं सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू हैं। लाभान्वितों का जिलावार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण पुनर्वास और कल्याण योजनाएं चल रही हैं तथा गुजरात के लाभान्वितों की संख्या इस प्रकार है:—

पुनर्वास योजनाएं

1. केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह "ग" पदों का 10 प्रतिशत तथा समूह "घ" पदों की 20 प्रतिशत आरक्षित किया हुआ है। अर्द्ध सैन्य बलों में सहायक कमांडेंट के 10 प्रतिशत पद भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गह हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीयकृत बैंक भूतपूर्व सैनिकों को समूह "ग" में 14.5 प्रतिशत और समूह "घ" के पदों में 24.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 1991 से 1995 तक के दौरान केन्द्रीय सरकार में गुजरात से 433 भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजित किया गया था।

2. गुजरात राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए अपने विभागों में समूह "ग" पदों में 10 प्रतिशत और समूह "घ" पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण किया हुआ है। वर्ष 1991 से 1995 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 92 भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 67 भूतपूर्व सैनिकों को इस अवधि के दौरान निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए थे।

3. लघु उद्योग, सेवा-उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग लगाए जाने के लिए तीन स्व-रोजगार योजनाओं के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को ऋण/वित्तीय सहायता दी जाती है। इन योजनाओं को सेमफेक्स-1, सेमफेक्स-2 और सेमफेक्स-3 के रूप में जाना जाता है। अब तक गुजरात के विभिन्न जिलों से 84 भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 3,49,63,589 रुपए का ऋण/वित्तीय सहायता मंजूर की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंक ऋण योजना के अंतर्गत राज्य के दो भूतपूर्व सैनिकों को 12.70 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है।

4. सरकार ने मरणोपरांत वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं/आश्रितों, युद्ध में मारे गये सैनिकों की पत्नियों, युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों और शांतिकाल के दौरान 50 प्रतिशत और उससे अधिक की निशक्तता वाले निशक्त हुए कार्मिकों को तेल उत्पादक एजेंसियों अर्थात एल पी जी, मिट्टी के तेल की एजेंसियों और पेट्रोल का 7.5 प्रतिशत आरक्षित किया हुआ है। यह गुजरात राज्य के लिए भी लागू है।

कल्याण योजनाएं

(1) भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। गुजरात में भुज, धरांगधारा, जामनगर, बड़ौदा और अहमदाबाद में पांच सैन्य अस्पताल अवस्थित हैं।

(2) गंभीर रोगों से ग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों को सिविल अस्पताल में इलाज कराये जाने पर कुल खर्च के 60 प्रतिशत के बराबर वित्तीय सहायता दी जाती है बशर्ते कि उनका इलाज सैन्य अस्पतालों में नहीं हो सकता है और उन्हें अन्य स्रोतों से इस प्रकार की कोई सहायता न दी गई हो। वर्ष 1993 से 1995 के दौरान गुजरात के 09 भूतपूर्व सैनिकों को गंभीर रोगों का इलाज कराए जाने के वास्ते 34,125 रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी।

(3) भूतपूर्व सैनिक नजदीकी सी एस डी कैन्टीनों से कैन्टीन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। गुजरात में यूनिटों द्वारा चलाई जाने वाली 87 कैन्टीनें हैं। इसके अतिरिक्त जिन जिलों में यूनिट चालित कैन्टीनें नहीं है वहां चलती-फिरती कैन्टीनें भेजी जाती हैं।

(4) सैन्य कार्रवाई में मारे गए अथवा स्थाई रूप से निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के, शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों को उस संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क से छूट पूर्णतया छूट प्रदान की जाती है।

(5) सैन्य कार्रवाई अथवा शांतिकाल के दौरान सेवा संबंधी कारणों से मारे गए अथवा निशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को एम बी बी एस में 25 सीटें और बी डी एस में एक सीट आरक्षित की गई है।

(6) सैन्य कार्रवाई में मारे गह अथवा स्थाई रूप से निशक्त हुए रक्षा/अर्द्ध-सैन्य बलों के कार्मिकों के बच्चों

को 6 भारतीय औद्योगिकी संस्थानों में से, प्रत्येक में दो सीटें आरक्षित की गई हैं।

(7) सेवारत और सेवा-निवृत्त सशस्त्र सैन्य कार्मिकों के बच्चों को सैनिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हुई हैं। गुजरात में बालचडी में एक सैनिक स्कूल है।

(8) परमवीर चक्र , महावीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के वीरता पुरस्कार विजेताओं; स्थाई रूप से निशक्त हुए अफसरों और उनके परिवारों के आश्रित सदस्यों तथा स्वतंत्रता पश्चात् के युद्धों में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों को इंडियन एयरलाइंस की घरेलू उड़ानों में यात्रा करने के लिए हवाई किराये में 50 प्रतिशत छूट दी जाती है।

(9) युद्ध में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों को द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल किराये में 75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है।

(10) युद्ध में दिवंगत सैनिकों और निशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 35 वार मेमोरियल होस्टल बनाए गए हैं ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें। इन होस्टलों में रह रहे बच्चों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड शिक्षा अनुदान भी देता है।

(11) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य/जिला सैनिक बोर्डों द्वारा वृद्ध और अशक्त भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को कल्याण निधियों से वित्तीय सहायता दी जाती है। जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा उपचार, पुत्री के विवाह, घर की मरम्मत आदि के लिए वित्तीय सहायता भी जाती है। गुजरात में जिला सैनिक बोर्डों द्वारा 62 भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को 3.36 लाख रुपये वित्तीय सहायता दी गई है।

(12) संपूर्ण देश में फैले 238 सैनिक भवन/विश्राम गृह भूतपूर्व सैनिकों के लिए व्यवस्थित किए गए हैं। गुजरात राज्य में राजकोट में एक सैनिक विश्राम गृह है।

2. इसके अतिरिक्त गुजरात की राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों को बहुत सी सुविधाएं/रियायतें भी दे रही हैं।

(ग) गुजरात के भूतपूर्व सैनिकों को 87 यूनिट चालित कैन्टीनों के माध्यम से कैन्टीन चालित सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 13 चल कैंटीन वेंने उन जिलों में महीने में दो बार भेजी जाती हैं जहां यूनिट चालित सुविधाएं नहीं हैं। गुजरात की राज्य सरकार ने कैन्टीन दुकानों के माध्यम से की गई खरीद के लिए भूतपूर्व सैनिकों को विक्रय पर छूट प्रदान नहीं की है।

विवरण-I

गुजरात में भूतपूर्व सैनिकों का जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	जिले का नाम	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1.	अहमदाबाद	2032
2.	महसाणा	397
3.	साबरकंठ	955
4.	बनासकंठ	111
5.	बड़ौदा	1427
6.	खेडा	342
7.	पंचमहल	280
8.	सूरत	481
9.	बलसाड	236
10.	जामनगर	785
11.	जूनागढ़	287
12.	सुरेन्द्रनगर	319
13.	कच्छ (भुज)	529
14.	गांधीगगर	234
15.	भरूच	251
16.	अमरेली	73
17.	भावनगर	359
18.	राजकोट	509
19.	डांग	15
		9,622

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सभापतिजी, सरकार की ओर बड़ा लम्बा चौड़ा स्टेटमेंट हमारे देश के जवानों को जो एक्स मिलिट्री मैन हैं, सर्विस मैन हैं, उनको मिलने वाली फैसिलिटी के लिए उन्होंने रखा है। कई जगह पर स्कूलों में उनके बच्चों के लिए रिजरवेशन है, उनकी दवाई, उनको गवर्नमेंट में सर्विस आदि अलग-अलग सुविधाओं के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं। मैं इतना ही आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी मशीनरी बनायी है या आपके पास कोई ऐसा तंत्र है कि जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं, आपने जो कुछ उनको दे रखा है, वह उसको मानीटर करे। दूसरा, आपको कितनी कंप्लेंट्स मिली हैं कि ये सुविधाएं जो गवर्नमेंट ने दे रखी

हैं वे उनको नहीं मिली हैं। मानीटरिंग व्यवस्था के लिए आपने कोई व्यवस्था बनाई है, यह जवाब दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: मान्यवर, जब कभी शिकायतें मिलती हैं—पहले स्थानीय स्तर पर सैनिक बोर्ड के चेयरमैन हैं, वहां पर उनकी शिकायतें जाती हैं और वहां उन शिकायत को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जहां तक सरकार के स्तर पर जो सुविधाएं दी गयी हैं उन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया है, यह सवाल है, इस संबंध में अभी मेरे पास सूचना नहीं है कि किसकी शिकायत आई, किसकी नहीं। अगर आपके पास स्पेसिफिक कोई शिकायत हो तो मैं उस शिकायत को दूर करने का अवश्य प्रयास करूंगा।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मेरा यह सवाल नहीं है। इतनी सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन को दे रही है, उनकी मानीटरिंग करने के लिए आपके पास क्या सुविधा है कि वे व्यवस्थित ढंग से उनको मिल रही हैं या नहीं। मैं यही पूछ रहा हूं कि कंप्लेंट और बात है। वह मैं पीछे करूंगा। आपके पास कोई सुविधा है, तंत्र है? आपने लम्बी चौड़ी सूची दे दी कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन इस सबकी मानीटरिंग के लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव: श्रीमान, मैं बता चुका हूं कि एक तो सैनिक बोर्ड है वह मानिटरिंग कर रहा है और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भी है। उसके माध्यम से भी जो सुविधाएं पहुंच रही हैं उनकी भी मानीटरिंग समय-समय पर की जाती है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Foreign investment in merchandised sailing vessels

*286. SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state the total foreign investment as on March, 31, 1996, *in* merchandised sailing vessels upto 10,000 DWT and the number of such vessels in which foreign investment has been allowed?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): There has been no foreign investment in the Indian Merchanised Sailing Vessels upto 10,000 DWT as on 31.3.96.

Crimes against women in the capital

*287. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the percentage of rise/fall in the incidents of crimes against women in the capital by the end of 1995 and since the beginning of 1996 till date;

(b) if so, reasons for the rise in the crime graph against women in the city;

(c) whether Government have made any assessment of the Crime Against Women Cell to know adequacy or otherwise of the infrastructure to stop such crimes; and

(d) if so, the details thereof stating the measures taken by Government to strengthen the cell to deal with the situation?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): (a) and (b) The variation in the incidence of crime against women under important heads in Delhi is indicated below:—

S. No.	Name of the Head	%age rise/fall in 1995 over 1994	%age rise/fall in 1996 (1.1.96 to 30.6.96) over 1995 (1.7.95 to 31.12.95)
1.	Dowry death	+5.69	-2.77
2.	Rape	+17.08	+30.26
3.	Molestation	+79.03	+17.05
4.	406 IPC (Relating to Dowry)	−65.29	−40.00
5.	498-A IPC (cruelty by husband or in-laws)	+5.68	−26.65
6.	Dowry Prohibition Act	+15.38	−57.14
7.	Kidnapping/abduction	+26.55	+6.27
8.	Eve teasing	+67.62	−23.30